राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प. 12(4) परि/सांख्य/पार्ट–5/2015/3124 जयपुर दिनांक 11.05.2016

कार्यालय आदेश....19./2016

कॉर्पस फण्ड में विनियोजित राशि पर अर्जित ब्याज के उपयोग हेतु दिशानिर्देश

1. **कॉर्पस फण्ड का उद्धेश्य एवं विनियोजित राशि** – राष्ट्रीय राजमार्गो पर बढ़ती दुर्घटनाओं एवं ट्रैफिक जाम की समस्याओं के निराकरण हेतु इन व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने, खराब एवं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अल्प समय में मार्ग से हटाने व दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को शीघ्र अस्पताल पहुँचाने के उद्वेश्य से वर्ष 1994–95 में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी राशि 50.00 लाख रू. एवं राज्य आयोजना मद में प्राप्त राशि 70.00 लाख रू. कुल 120.00 लाख रू. से कॉर्पस फण्ड गठन किये जाने की स्वीकृति दिनांक 30.03.1995 को जारी की गयी एवं राज्य सरकार के आयोजना मद में वर्ष 1994–95 से 1998–99 तक प्रतिवर्ष राशि 70.00 लाख रू., कुल 350.00 लाख रू. अतिरिक्त विनियोजित किए गए। उक्त राशि के अतिरिक्त विभाग को वर्ष 1995–96 के दौरान हाईड्रोकार्बन मद में 10.00 लाख रू., गैस एनेलाईजर मद में 12.65 लाख रू., बैटरी ऑपरेटेड मद में 30.00 लाख रू. एवं प्रदूषण उपकरण मद में 33.46 लाख रू. प्राप्त हुए जिन्हें भी कॉर्पस फण्ड में विनियोजित किया गया।

2. **फण्ड पर देय ब्याज व निवेश स्वीकृति की शर्तेः–** कॉर्पस फण्ड की मूल राशि 480.89 लाख राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर में ब्याज धारक निजी निक्षेप खाते में (पी.डी. खाता) विनियोजित की हुई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कॉपर्स फण्ड में जमा राशि पर प्रचलित बाजार दर से अथवा व्यावसायिक संस्थानों को दिये जाने वाले ब्याज दर से 1/2 प्रतिशत कम ब्याज अदा करेगा। वर्ष 1994–95 में व्यावसायिक संस्थानों हेतु प्रचलित ब्याज दर 15 प्रतिशत से कम करते हुए ब्याज की दर 14.5 प्रतिशत रखी गयी। भविष्य में रोडवेज में संधारित कॉर्पस फण्ड में जमा राशि पर तत्समय प्रचलित ब्याज दर के अनुरूप 1/2 प्रतिशत कम करते हुए ब्याज अदा करेगा।

कॉर्पस फण्ड की राशि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर में निवेश की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जा रही हैः–

2.1 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कॉर्पस फण्ड में जमा/अवशेष राशि पर अर्जित आय/देय ब्याज की राशि का पृथक रूप से कॉर्पस फण्ड में स्थानान्तरित/क्रेडिट किया जावेगा एवं ब्याज की गणना बैंक द्वारा की जा रही गणना के अनुसार की जायेगी। ब्याज से अर्जित राशि प्रति माह कॉर्पस फण्ड में जमा करवाई जायेगी।

2.2 कॉपर्स फण्ड में राशि समय–समय पर परिवहन आयुक्त के द्वारा जारी किये जाने वाली निर्देशों की अनुरूप निकाली जा सकेगी।

2.3 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा कॉर्पस फण्ड की राशि का उपयोग उन्ही प्रयोजनो के लिए किया जायेगा जिन पर निगम वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं बैंकों से अपने व्यवसाय के लिए प्राप्त धन राशि का करता है।

2.4 ब्याज के मद में त्रैमास की समाप्ति पर उपलब्ध राशि में से निकटतम एक लाख रूपये की राशि पूंजी खाते में विनियोजित कर दी जाती है।

2.5 कॉपर्स फण्ड की राशि को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में ब्याज धारक निजी निक्षेप खातें में (पी.डी. खाता) विनियोजित किया जायेगा।

2.6 कॉपर्स फण्ड में अन्य किसी मद की राशि जमा नहीं कराई जायेगी।

3. संचालन समिति–

1. निधि की धन राशि के उपयोग हेतु परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें:–

1. परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय–2)	सदस्य
3. वित्तीय सलाहकार	सदस्य
4. अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)	सदस्य
5. अति. महानिदेशक, यातायात पुलिस	सदस्य
6. अपर परिवहन आयुक्त (यो.वि.)	सदस्य सचिव

2. **समिति के कार्य:–** सदस्य सचिव, कॉर्पस फण्ड संचालन समिति की बैठक आयोजित करने, समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की पालना करने, अध्यक्ष (परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव) द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना एवं वर्ष भर में किये गये व्यय राशि का विवरण आदि संचालन समिति में प्रस्तुत करने एवं अनुमोदन कराने के लिये उत्तरदायी होगा। संचालन समिति की बैठक वर्ष में न्यूनतम एक बार एवं आवश्यकता होने पर एक से अधिक बार भी बुलाई जा सकती है। संचालन समिति की बैठक में संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–2) सहित न्यूनतम 3 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य हैं।

4. निधि का उपयोग:–

(अ) कॉर्पस फण्ड की मूल राशि का उपयोग निषेध है, केवल विनियोजन से प्राप्त आय (ब्याज) का ही उपयोग निम्नानुसार किया जायेगा:–

1 राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु वाहन उठाने के लिये आवंटित/अनुबन्धित क्रेनों एवं ट्रकों के किराये का भुगतान।

2 राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों से हुई दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने हेतु अनुबन्धित एम्बुलेंस के किराये का भुगतान।

3 भारत सरकार से प्राप्त रिकवरी क्रेने जो परिवहन विभाग द्वारा पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई गयी है, के संचालन, पी.ओ.एल., मरम्मत एवं इनके संचालन हेतु उपलब्ध कराये गए अनुबन्धित वाहन चालकों, हैल्पर्स के पारिश्रमिक एवं इससे सम्बन्धित अन्य कोई व्यय आदि का भुगतान।

4 अन्य भुगतान कॉर्पस फण्ड संचालन समिति की अभिशंसा एवं वित्त विभाग की अनुमति के अनुसार किया जा सकेगा।

(ब) व्यय प्रक्रिया–

1 कॉर्पस फण्ड में निवेशित राशि पर प्रति वर्ष अर्जित ब्याज की राशि की सीमा तक ही व्यय करना सुनिश्चित किया जाये ताकि ब्याज की राशि से अधिक भुगतान नहीं हो सके।

2 कॉर्पस फण्ड में प्रत्येक भुगतान राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अध्यधीन किया जायेगा। प्राप्त बिलों का सम्बन्धित पंजिका/स्टॉक पंजिका में इंद्राज किया जाकर स्वीकृति जारी की जायेगी। भुगतान एफ.वी.सी. बिलों के माध्यम से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर द्वारा किया जायेगा ताकि विभाग में एक प्रकरण में दोहरा भुगतान होने की संभावना नगण्य रहें।

3 कॉर्पस फण्ड में अर्जित ब्याज से किए गये प्रत्येक भुगतान का अनुमोदन कॉर्पस फण्ड संचालन समिति की बैठक में किया जायेगा।

4 क्रय सम्बन्धित प्रकरणों में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

5. लेखो का संधारण एवं भुगतान प्रक्रियाः– समस्त विनियोजनों से प्राप्त राशि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर के पी डी खाते में विनियोजित की है। निधि के अन्तर्गत समस्त मदों का पृथक–पृथक संधारण रा.रा.प.प.नि., जयपुर के स्तर पर किया जायेगा।

कॉर्पस फण्ड की मूल राशि का उपयोग निषेध है तथा केवल विनियोजन से प्राप्त ब्याज का ही उपयोग विभाग की स्वीकृति के पश्चात रा.रा.प.प.नि. जयपुर द्वारा संबंधित फर्म/विभाग के नाम भुगतान योग्य राशि का डी.डी./चैक बनाये जाएंगे। निगम से डी.डी./चैक प्राप्त होने पर विभाग द्वारा सम्बन्धित को भुगतान हेतु भिजवाये जायेंगे।

यह वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101–601–538 दिनांक 29.04.2016 के द्वारा अनुमोदित है।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः– एफ 12(4) परि/सांख्य/पार्ट–5/2015/9125-39 जयपुर, दिनांक 11-5-16

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है–

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री महोदय ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
6. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.नि., जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, यातायात।
8. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2)।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
12. अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)।
13. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज (ऑटो मोबाइल इंजीनियर)।
14. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
15. सिस्टम एनालिस्ट (मुख्यालय)।

अपर परिवहन आयुक्त (यो.वि.)